भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1524

(जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 09 फरवरी, 2026/20 माघ, 1947(शक) को दिया जाना है)

जीएसटी पुनर्सरचना के राजकोषीय प्रभाव

1524. श्री के. ई. प्रकाशः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु के वित्त मंत्री द्वारा दिए गए बयान पर ध्यान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जीएसटी व्यवस्था में बदलावों ने राज्य सरकार पर 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने हाल के जीएसटी पुनर्संरचना उपायों के राजकोषीय प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या ऐसे जीएसटी परिवर्तनों को लागू करने से पहले कोई प्रायोगिक अध्ययन, चरणबद्ध कार्यान्वयन या प्रभाव आंकलन अभ्यास या गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं;
(घ) क्या सरकार ने ऐसे जीएसटी परिवर्तनों से होने वाली राजस्व हानि की भरपाई के लिए किसी मुआवजा संबंधी तंत्र का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) राज्यों द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने और उनकी राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क), (ख) और (ग) : दरों के युक्तिकरण पर मंत्री समूह का गठन बिहार राज्य की अध्यक्षता में 5 अन्य सदस्य राज्यों (उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और केरल) के साथ किया गया था। मंत्री समूह ने जीएसटी परिषद को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं। जीएसटी परिषद ने दिनांक 3 सितंबर, 2025 को आयोजित अपनी 56वीं बैठक में, सामन्य जन, श्रम प्रधान उद्योगों, किसानों और कृषि, स्वास्थ्य तथा अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों के युक्तिकरण की सिफारिश की। मौजूदा 4-स्तरीय कर दर संरचना को नागरिक-अनुकूल 'सरल कर' में युक्तिसंगत बनाया गया - एक 2 दर संरचना जिसमें 18% की मानक दर और 5% की गुण दर है। इसके अतिरिक्त, चुनिंदा कुछ वस्तुओं और सेवाओं के लिए 40% की विशेष अवगुण दर भी निर्धारित की गई है। वर्तमान में, देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर जीएसटी दरों में कमी के प्रभाव के संबंध में कोई औपचारिक अध्ययन नहीं किया गया है।

(घ) : सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) सभी राज्यों ने अपने-अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम प्रवर्तित किए हैं। राज्य एफआरबीएम अधिनियम के अनुपालन की निगरानी संबंधित राज्य विधानसभाओं द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार आमतौर पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत राज्यों द्वारा लिए गए ऋणों को मंजूरी देने की शक्तियों का प्रयोग करते समय वित्त आयोग की स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार राजकोषीय सीमाओं पर विचार करती है।

*****